

प्रेषक,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशु पालन विभाग,
लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,

कानपुरनगर/कानपुरदेहात/कन्नौज/औरैया/इटावा/फर्रुखाबाद/झांसी/जालौन/चित्रकूट
/बांदा/हमीरपुर/महोबा/ललितपुर/आगरा/रामपुर/फतेहपुर/कौशाम्बी/रायबरेली/
उन्नाव/अमेठी/मिर्जापुर/सोनभद्र/सिद्धार्थनगर/देवरिया/महराजगंज।

पत्रांक

/~~चारा~~/ 11।एफ (417)/2017-18

दिनांक 19-02-2018

विषय:-

वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उपयोजना "अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम"के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के उपयोग हेतु दिशा निर्देश।

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या-1594/बजट/29(5)/अनु0-11/01/ 2017-18 दिनांक- 11-02-2018 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उपयोजना "अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम"(Additional Fodder Development Programme-AFDP) के अन्तर्गत जायद-2018 हेतु धनराशि का आवंटन किया गया है। आवंटित धनराशि का उपयोग निम्न दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत किया जाय :-

- 1- योजना के वृहद प्रचार-प्रसार हेतु सूचना प्रतिष्ठित हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाये, साथ ही विज्ञप्ति की प्रतियां जिलाधिकारी कार्यालय, विकास भवन, तहसील, विकास खण्ड, मण्डी परिषद, सहकारी समितियों के सूचना पटों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अनिवार्य रूप से चस्पा कराया जाय।
- 2- योजनान्तर्गत लघु/सीमांत कृषकों/पशुपालकों को चयन में वरीयता दी जायेगी। न्यूनतम 0.1 हे0 एवं अधिकतम 0.5 हे0 भूमि पर चारा उत्पादन हेतु इच्छुक लाभार्थियों का चयन किया जाय।
- 3- इच्छुक कामधेनु/मिनी कामधेनु/माइक्रो कामधेनु के लाभार्थियों को भी योजनान्तर्गत चयनित किया जा सकता है।
- 4- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लाभार्थियों तथा महिला लाभार्थियों को नियमानुसार चयन में वरीयता दी जाय। पी0सी0डी0एफ0 के अन्तर्गत संचालित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के सदस्यों का भी चयन किया जायेगा।
- 5- **लाभार्थियों के चयन का मापदण्ड-**
 - (क) लाभार्थी कम से कम 02 दुधारू पशु पालता हों तथा चारा उत्पादन हेतु इच्छुक हो।
 - (ख) लाभार्थी के पास सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हो अथवा चारा फसल की सिंचाई आसानी से की जा सके।
 - (ग) लाभार्थी के पास स्वयं की जोत हो, जिसका सत्यापन खसरा/खतौनी से कर लिया जाय।
- 6- **लाभार्थियों का चयन निम्न समिति द्वारा किया जायेगा-**

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	-	अध्यक्ष
सम्बन्धित उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	-	सदस्य/सचिव
सम्बन्धित पशु चिकित्साधिकारी	-	सदस्य
जिला कृषि अधिकारी/नामित सदस्य	-	सदस्य

- 7- लाभार्थियों का चयन करते समय यह प्रयास किया जाये कि जिस प्लाट में चारा फसल बोयी जानी है, वह सडक/चकरोड के आस-पास हो अर्थात् जहाँ पर वह सरलता से प्रदर्शित हो तथा अधिक से अधिक कृषक/पशुपालक अवलोकन कर सके।
- 8- जनपदवार चारा उत्पादन हेतु निर्धारित क्षेत्रफल, बीज/उर्वरक की मात्रा एवं लाभार्थियों की संख्या **परिशिष्ट-एक** में दर्शायी गयी है।
- 9- **परिशिष्ट-एक** में जनपदवार लाभार्थियों की संख्या प्रति लाभार्थी 0.1 हेक्टेयर के आधार पर दर्शायी गई है। अतः यदि जनपद में ऐसे भी लाभार्थियों का चयन किया जाता है, जो 0.1 हे० से 0.5 हे० तक चारा उत्पादन करने में सक्षम हो तो जनपद में लाभार्थियों की संख्या **परिशिष्ट-एक** में दर्शाये गये लाभार्थियों की संख्या से कम हो जायेगी, लेकिन जनपद में चारा उत्पादन हेतु आच्छादित होने वाले क्षेत्रफल में कोई कमी नहीं होगी अर्थात् जनपद में चारा उत्पादन हेतु **परिशिष्ट-एक** में दर्शाया गया क्षेत्रफल यथावत् रहेगा।
- 10- **43-सामग्री एवं सम्पूर्ति** मद में आवंटित धनराशि का व्यय/भुगतान **परिशिष्ट-2** पर संलग्न विवरणानुसार किया जायेगा। चारा बीज का क्य एन०एस०सी० से तथा उर्वरकों का क्य इफको से कर, पशुपालकों को एक साथ निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। प्रति लाभार्थी को 0.1 हे० क्षेत्रफल में बुवाई हेतु 03 किग्रा० ज्वार(मल्टीकट) चारा बीज, 13 किग्रा० डी०ए०पी० एवं 20 किग्रा० यूरिया उपलब्ध कराया जायेगा। इसी प्रकार 0.1 हे० से अधिक 0.5 हे० क्षेत्रफल तक बुवाई हेतु उक्त इकाई मानक के गुणक में चारा बीज एवं उर्वरक उपलब्ध कराया जायेगा। डी०ए०पी० की सम्पूर्ण एवं यूरिया की आधी मात्रा बुवाई के समय बेसल ड्रेसिंग के रूप में तथा यूरिया की शेष आधी मात्रा खडी चारा फसल में टाप ड्रेसिंग के रूप में दी जायेगी।
- 11- **43-सामग्री एवं सम्पूर्ति** मद में आवंटित धनराशि से ज्वार (मल्टीकट) चारा बीज एवं उर्वरक (यूरिया एवं डी०ए०पी०) निर्धारित संस्था/उपक्रम से क्य कर दिनांक 15-03-2018 से पूर्व लाभार्थियों को अवश्य उपलब्ध करा दिया जाय, क्योंकि जायद में ज्वार(मल्टीकट) चारा बीज के बोने का उचित समय 15 मार्च से 15 अप्रैल तक है। अतः उक्त अवधि में बुवाई कार्य अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
- 12- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा योजना के सम्बन्ध में जिलाधिकारी को अवगत कराते हुए इफको से उर्वरक क्य हेतु जनपद के उप कृषि निदेशक(प्रसार)/सहायक निबन्धक (सहकारिता) से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही की जाय। उर्वरकों के क्य हेतु सम्बन्धित संस्था/उपक्रम द्वारा आवश्यकता पडने पर/मांगे जाने पर चयनित लाभार्थियों की सूची मय आधार पहचान पत्र की छायाप्रति उपलब्ध करायी जाय।
- 13- **42-अन्य व्यय** में आवंटित धनराशि से सूचनाओं के प्रेषण (सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी), अभिलेखीकरण एवं फोटोग्राफी इत्यादि पर व्यय किया जायेगा। साधारण कार्ड-बोर्ड पर लाभार्थी का पूर्ण विवरण अंकित कर चारा फसल में प्रदर्शित करते हुए लाभार्थी के साथ फोटोग्राफी करायी जाय।
- 14- सम्बन्धित पशु चिकित्साधिकारी द्वारा अपने क्षेत्र के अन्तर्गत आवंटित चारा बीज मिनीकितों का पूर्ण विवरण संलग्न **प्रारूप-1** पर अपने चिकित्सालय पर रखा जायेगा।
- 15- सम्बन्धित **पशुधन प्रसार अधिकारियों** द्वारा योजना का सफल क्रियान्वयन कराया जायेगा। उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/पशु चिकित्साधिकारियों द्वारा समय-2 पर, लाभार्थियों द्वारा बोयी गयी चारा फसलों का निरीक्षण किया जायेगा तथा निरीक्षण आख्या मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। यदि किसी भी स्तर पर योजना के क्रियान्वयन में शिथिलता पायी जाती है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी का होगा।
- 16- योजना के कार्यों की पूर्णता पर कमसः **प्रारूप-1**, **प्रारूप-2** एवं **प्रारूप-3** पर **लाभार्थियों का विवरण, उपयोगिता प्रमाण पत्र** एवं योजना का **Impact assessment (फीड बैक)** चारा अनुभाग, पशुपालन निदेशालय को हार्ड एवं साफ्ट कापी में उपलब्ध कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी का होगा।

- 17- योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि का उपभोग चालू वित्तीय वर्ष में ही अनिवार्य रूप से किया जाना है। योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर तत्काल उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी का होगा।
 - 18- आवंटित धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि आवंटित की गयी है। किसी अन्य मद में न तो इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका डायवर्जन ही किया जायेगा, किन्तु 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति मद के अन्तर्गत क्रय की जाने वाली सामग्रियों हेतु धनराशि अथवा परिवहन आदि पर होने वाला व्यय समायोजित किया जा सकता है। योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि में से व्यय न होने वाली धनराशि का मानक मदवार समर्पण समय से निदेशालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
 - 19- योजना को निर्वाध गति एवं सफल संचालन हेतु निदेशालय के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण किया जायेगा।
 - 20- विस्तृत कार्य योजना एवं गार्इड-लाइन विभागीय वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
- संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा० चरण सिंह यादव),
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।

पत्रांक: 29 / चारा / एफ (417) / 2017-18 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- कृषि निदेशक, कृषि भवन, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2- वित्त नियन्त्रक, मुख्यालय।
- 3- सम्बन्धित अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग।
- 4- **क्षेत्रीय प्रबन्धक**, राष्ट्रीय बीज निगम, 569/153, बाराविरवा, निकट पिकडली होटल, कानपुर रोड लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि बीज अधिनियम द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार बीज के परीक्षण परिणाम के साथ बीज लाटों के अनुसार सैम्पल (500 ग्राम के 02-02 पैकेट प्रति लाट) पशुपालन निदेशालय के चारा अनुभाग को शीघ्र उपलब्ध कराये तथा बीज परीक्षण परिणाम की छायाप्रति मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों द्वारा निर्धारित मात्रा में चारा बीज क्रय हेतु मांग पत्र प्रस्तुत करने पर, बीज आपूर्ति के समय उपलब्ध कराया जायेगा। क्रय किये जाने वाले चारा बीज का भुगतान बीज के मानक अंकुरण प्रतिशत एवं नमी प्रतिशत (अंकुरण-75 प्रतिशत एवं नमी-12 प्रतिशत) पर आधारित होगा।
- 5- **राज्य विपणन प्रबन्धक**, इफको, 8-गोखले मार्ग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि चयनित जनपदों के मुख्य पशु-चिकित्साधिकारियों द्वारा निर्धारित मात्रा में उर्वरक क्रय हेतु मांग पत्र प्रस्तुत करने पर उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित जनपद के इफको प्रभारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 6- नोडल अधिकारी, आर०के०वी०वाई, मुख्यालय।
- 7- इफको प्रभारी, सम्बन्धित जनपद।
- 8- विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(डा० चरण सिंह यादव),
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अधीन अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम (ए0एफ0डी0पी0)
अन्तर्गत जायद वर्ष 2018 हेतु भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण

क्र०सं०	जनपद का नाम	लाभार्थियों की अधिकतम सं०	निर्धारित क्षेत्रफल (हे० में)	ज्वार (मल्टीकट) बीज की मात्रा (कु० में)	यूरिया की मात्रा (कु० में)	डी0ए0पी0 की मात्रा (कु० में)
1	2	3	4	5	6	7
1	आगरा	8000	800.00	240.00	1600.00	1040.00
2	रामपुर	5000	500.00	150.00	1000.00	650.00
3	कानपुर नगर	4000	400.00	120.00	800.00	520.00
4	कानपुर देहात	3000	300.00	90.00	600.00	390.00
5	फर्रुखाबाद	3250	325.00	97.50	650.00	422.50
6	कन्नौज	1750	175.00	52.50	350.00	227.50
7	इटावा	2250	225.00	67.50	450.00	292.50
8	औरैया	1500	150.00	45.00	300.00	195.00
9	झांसी	500	50.00	15.00	100.00	65.00
10	जालौन	1250	125.00	37.50	250.00	162.50
11	ललितपुर	500	50.00	15.00	100.00	65.00
12	बांदा	1500	150.00	45.00	300.00	195.00
13	महोबा	500	50.00	15.00	100.00	65.00
14	हमीरपुर	750	75.00	22.50	150.00	97.50
15	चित्रकूट	750	75.00	22.50	150.00	97.50
16	फतेहपुर	4500	450.00	135.00	900.00	585.00
17	कौशाम्बी	1750	175.00	52.50	350.00	227.50
18	रायबरेली	3750	375.00	112.50	750.00	487.50
19	उन्नाव	3750	375.00	112.50	750.00	487.50
20	अमेठी	3000	300.00	90.00	600.00	390.00
21	सिद्धार्थनगर	750	75.00	22.50	150.00	97.50
22	देवरिया	2500	250.00	75.00	500.00	325.00
23	महराजगंज	3250	325.00	97.50	650.00	422.50
24	मिर्जापुर	1000	100.00	30.00	200.00	130.00
25	सोनभद्र	650	65.00	19.50	130.00	84.50
	योग	59400	5940.00	1782.00	11880.00	7722.00

नोट-

सामग्री का नाम	प्रयोग दर प्रति इकाई (0.1 हे०)
ज्वार(मल्टीकट) चारा बीज	3 किग्रा०
यूरिया	20 किग्रा० (10 किग्रा० बेसल ड्रेसिंग +10 किग्रा० टाप ड्रेसिंग)
डी0ए0पी0	13 किग्रा० (बेसल ड्रेसिंग)

Amir

परिशिष्ट-2

कार्यालय पत्र सं०-1594/बजट/29(5)/अनु०-11/01/2017-18 दिनांक- 11.02.2018 द्वारा आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु विवरण

क्र०सं०	जनपद का नाम	आहरण वितरण अधिकारी	आवंटित धनराशि का विवरण (रु०में)						कुल योग (रु० में)
			43-सामग्री सम्पूर्ति				42-अन्य व्यय		
			ज्वार बीज (मल्टीकट)	यूरिया	डी०ए०पी०	योग	योजना के अभिलेखीकरण / मानीटरिंग हेतु	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आगरा	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	1515200.00	1044800.00	2240000.00	4800000.00	32000.00	32000.00	4832000.00
2	रामपुर	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	947000.00	653000.00	1400000.00	3000000.00	20000.00	20000.00	3020000.00
3	कानपुर नगर	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	757600.00	522400.00	1120000.00	2400000.00	16000.00	16000.00	2416000.00
4	कानपुर देहात	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	568200.00	391800.00	840000.00	1800000.00	12000.00	12000.00	1812000.00
5	फर्रुखाबाद	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	615550.00	424450.00	910000.00	1950000.00	13000.00	13000.00	1963000.00
6	कन्नौज	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	331450.00	228550.00	490000.00	1050000.00	7000.00	7000.00	1057000.00
7	इटावा	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	426150.00	293850.00	630000.00	1350000.00	9000.00	9000.00	1359000.00
8	औरैया	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	284100.00	195900.00	420000.00	900000.00	6000.00	6000.00	906000.00
9	झांसी	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	94700.00	65300.00	140000.00	300000.00	2000.00	2000.00	302000.00
10	जालौन	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	236750.00	163250.00	350000.00	750000.00	5000.00	5000.00	755000.00
11	ललितपुर	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	94700.00	65300.00	140000.00	300000.00	2000.00	2000.00	302000.00
12	बांदा	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	284100.00	195900.00	420000.00	900000.00	6000.00	6000.00	906000.00
13	महोबा	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	94700.00	65300.00	140000.00	300000.00	2000.00	2000.00	302000.00
14	हमीरपुर	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	142050.00	97950.00	210000.00	450000.00	3000.00	3000.00	453000.00
15	चित्रकूट	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	142050.00	97950.00	210000.00	450000.00	3000.00	3000.00	453000.00
16	फतेहपुर	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	852300.00	587700.00	1260000.00	2700000.00	18000.00	18000.00	2718000.00
17	कौशाम्बी	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	331450.00	228550.00	490000.00	1050000.00	7000.00	7000.00	1057000.00
18	रायबरेली	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	710250.00	489750.00	1050000.00	2250000.00	15000.00	15000.00	2265000.00
19	उन्नाव	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	710250.00	489750.00	1050000.00	2250000.00	15000.00	15000.00	2265000.00
20	अमेठी	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	568200.00	391800.00	840000.00	1800000.00	12000.00	12000.00	1812000.00
21	सिद्धार्थनगर	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	142050.00	97950.00	210000.00	450000.00	3000.00	3000.00	453000.00
22	देवरिया	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	473500.00	326500.00	700000.00	1500000.00	10000.00	10000.00	1510000.00
23	महाराजगंज	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	615550.00	424450.00	910000.00	1950000.00	13000.00	13000.00	1963000.00
24	मिर्जापुर	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	189400.00	130600.00	280000.00	600000.00	4000.00	4000.00	604000.00
25	सोनभद्र	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	123110.00	84890.00	182000.00	390000.00	2600.00	2600.00	392600.00
26	मुख्यालय	आहरण वितरण अधिकारी	0.00	0.00	0.00	0.00	122400.00	122400.00	122400.00
	योग	-	11250360.00	7757640.00	16632000.00	35640000.00	360000.00	360000.00	36000000.00

Aji

प्रारूप-2

उपयोगिता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उपयोजना "अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम" के अन्तर्गत जायद-2018 में जायद चारा उत्पादन मिनीकिट के निःशुल्क वितरण हेतु पशुपालन निदेशालय के पत्र सं०-..... दिनांक.....द्वारा जनपद.....को आवंटित धनराशि रू०.....के सापेक्ष रू०.....दिये गये दिशा-निर्देशानुसार उपयोग कर लिया गया है। योजनान्तर्गत अवशेष धनराशि रू०.....को इस कार्यालय के पत्र सं०.....दिनांक.....द्वारा समर्पित कर दिया गया है, तथा धनराशि जिस प्रयोजन के लिए आवंटित की गयी है, उसे उसी प्रयोजन में ही व्यय किया गया है। योजनान्तर्गत जनपद में कुल.....लाभार्थियों को लाभान्वित तथाहे० क्षेत्रफल को आच्छादित किया गया है।

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी
जनपद.....

प्रारूप-1
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उपयोगना "अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम" के अन्तर्गत जायद-2018 में चयनित लाभार्थियों का विवरण

क्र० सं०	लाभार्थी का नाम एवं पिता का नाम, मो०-नं० एवं आधार नं०	पूर्ण पता	लाभार्थी की श्रेणी	लघु/सामान्य/अन्य कृषक	चारा उत्पादन हेतु आब्याहित होने वाला क्षेत्रफल	निवेश एवं उर्वरक) वितरण की तिथि	खसरा सं०	ज्वार (मल्टीकट) चारा बीज भिनीकट का विवरण				उर्वरक का नाम एवं उपयोग तिथि			
								बुवाई की तिथि	कटाई की तिथि	कटाई की तिथि	उत्पादन (कु० मं०)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									I	II	I	II		बैसल शैसिंग	टाप शैसिंग

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी
जनपद.....

